उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

बनाम

हंसराज वगैरा — रमेश वगैरा

प्रार्थना पत्र 136 एल. आर. ए. — नं. 4 / 17/2/15 — सन् 2015

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.2.2015 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए प्रार्थीगण हंसराज पुत्र किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी व अन्य की ओर से श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट ने उपस्थित होकर हमारे समक्ष पेश किया। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 18.3.2015 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
18-3-15 ~~पत्रावली पेश हुई~~ / वकील वादी / ~~वकील~~ ~~प्रतिवादी~~ उप० है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर हैं। ~~अतः पत्रावली स्थानान्तरण~~ ~~की गयी~~ पत्रावली दि० 23-3-15 को पेश हो। समस्त अप्रार्थीगण ने हाजिर अदालत होकर जवाब पेश किया। वकील प्रार्थी ने एक किता दस्तावेज पेश किया। [हस्ताक्षर] रीडर	[illegible] केदार मनोरी रमेश महेश सन्तोष [अंगूठा निशान] ख्यालीराम हरकेश
23-3-2015 वकील प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 स्वयं उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी को एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। दोनों ही पक्षों ने प्रार्थीगण के पिता किरोडी को वादग्रस्त भूमि में मृतक चिरंजी का वारिस होना व 1/3 हिस्सा होना जाहिर किया है। प्रस्तुत अभिलेख से भी प्रा०पत्र 136 L.R.Act की पुष्टि होती है। अतः प्रा०पत्र 136 L.R.A स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर]	

[illegible]

एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2015	12.02.2015	23.03.2015

1. [illegible] पुत्र किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. महेन्द्र पुत्र किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्र किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. [illegible] पुत्र किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. [illegible] पत्नि किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. [illegible] पुत्री किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. अनीता पुत्री किरोडी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

---प्रार्थीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्र किशोरी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. महेश पुत्र किशोरी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्र किशोरी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. [illegible] पुत्र किशोरी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. सन्तोष पुत्र किशोरी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. शांति पत्नि किशोरी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. मनोरी पुत्र चिरंजी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. केदार पुत्र चिरंजी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
9. खिलाडी पुत्र चिरंजी, जोगी निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:- श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री चिरंजी की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0नं0 5537 रकबा 1.88 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में स्थित है। स्व0 चिरंजी के समय से हीं इस भूमि को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काश्त करते आ रहे हैं। चिरंजी का स्वर्गवास सेटिलमेंट के दौरान हुआ । सेटिलमेंट में चिरंजी के सीन पर उसके पांचो पुत्र किशोरी, किरोडी, मनोरी, केदार एवं खिलाडी के हक में पर्चा सेटिलमेंट जारी हो गया । इस प्रकार इस भूमि में पांचो भाई सहखातेदार हैं। इस भूमि को पांचो भाई संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। सेटिलमेंट के बाद प्रथम जमाबंदी सं0 2039 में राजस्व कर्मचारियों की भूल से इस भूमि में चिरंजी के पांचो पुत्रों के नाम खातेदारी इन्द्राज ना होकर केवल किशोरी, मनोरी, केदार एवं खिलाडी के हक में इन्द्राज खातेदारी हो गया जबकि इन्द्राज पांचो "भाईयों" के नाम होना

जानकारी नहीं हुई। प्रार्थी ने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दिनांक 1.12.2014 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की गलती की जानकारी हुई। राजस्व रिकार्ड में हुए इस गलत अंकन से पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे इसलिए इसकी दुरुस्ती होना आवश्यक है। सहखातेदार किशोरी का भी स्वर्गवास हो गया है एवं अप्रार्थी नं0 1 लगायत 6 किशोरी के वारिस हैं। चिरंजी के पुत्र किरोडी का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं प्रार्थीगण किरोडी के वारिस हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 5537 रकबा 1.88 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में अन्य भाईयों के साथ प्रार्थीगण को 1/5 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया।

अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया। अपने जबाब में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी पहचान पत्र किशोरीलाल, फोटोकोपी परिवार राशनकार्ड, फोटोकोपी पर्चा लगान, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 पेश की है।

वकील प्रार्थीगण को एवं न्यायालय में उपस्थित अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप तर्क देते हुए प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी में बतौर हिस्सेदार दर्ज करने का निवेदन किया है।

न्यायालय में उपस्थित अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण का पिता किरोडी, चिरंजी का ही पुत्र है एवं इसका वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा है। गलती से इसका नाम रिकार्ड में नहीं आया है इसलिए इसका नाम रिकार्ड में दर्ज करने में उनको कोई आपत्ती नहीं है।

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोकोपी पर्चा लगान के अनुसार ख0नं0 5537 रकबा 1.88 हैक्टर में किशोरी, किरोडी, मनोहरी, केदार, खिलाडी पुत्रगण चिरंजी जोगी को बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 में यह भूमि किशोरीलाल, मनोहरीलाल, केदार, खिलाडी पि0 चिरंजी जोगी के नाम दर्ज है अर्थात इस भूमि की खातेदारी में किरोडी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। भूमि के अन्य सहखातेदारों ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि में किरोडी का नाम दर्ज किए जाने में उन्हें कोई आपत्ती नहीं होना प्रकट किया है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में अपने पिता किरोडी का नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 5537 रकबा 1.88 हैक्टर में किरोडी का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का

आदेश दिया जाता है। अर्थात इस भूमि की खातेदारी में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि "किशोरीलाल, मनोहरीलाल, केदार, खिलाडी पि0 चिरंजी जोगी हि0ब0सा0देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि "किशोरीलाल, मनोहरीलाल, केदार, खिलाडी, किरोडी पि0 चिरंजी जोगी हि0ब0सा0देह खातेदार" दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी